Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय अति0 कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

देवेन्द्र सिंह बनाम **चन्द्रप्रकाश वगैराह**

किस्मा मुकदमा **विविध** नं0 **027** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.03.2021	श्री चन्द्रप्रकाश पिता मदनलाल सेन मैसर्स श्रीराम लघु उद्योग सदर बाजार बेंगूॅ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। श्री चन्द्रप्रकाश हाजिर। हाजिर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13/9 खाद्य सुरक्षा अधिनियम पेश किया गया। हाजिर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र दर्ज के बिन्दु पर सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 019/2018 निर्णय दिनांक 03.02.2021 के पुर्न विचार हेतु निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 019/2018 निर्णय दिनांक 03.02.2021 अनवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम चन्द्रप्रकाश वगैराह की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ अंकित किया गया एवं विपक्षी संख्या 1 चन्द्रप्रकाश सेन पुत्र मदनलाल सेन मेसर्स श्रीराम लघु उद्योग सदर बाजार बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ एवं विपक्षी संख्या 2 मैसर्स श्रीराम लघु उद्योग, सदर बाजार चित्तौड़गढ़ अंकित किया गया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं चन्द्रप्रकाश पिता मदनलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमने हाजिर प्रार्थी चन्द्रप्रकाश को प्रार्थना पत्र को दर्ज के बिन्दु पर सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का आद्यौपान्त अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना में किसी भी प्रकार से विधिक प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रार्थी न्यायालय से किस विधिक प्रावधान के तहत अनुतोष चाहता है। इसके साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना में पक्षकारान कों भी सुसंगत रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रार्थना पत्र के साथ किसी विपक्षी पक्षकारान के तलबी हेतु नकल नोटिस प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके साथ ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता अपने आवेदन में यह स्पष्ट नहीं कर पाये है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र किस विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को एडमिशन स्तर पर ही दर्ज योग्य नहीं पाये जाने से खारीज किया जाता है। प्रार्थना पत्र को विविध प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज अंकित किया जावें। प्रार्थना पत्र एडमिशन स्तर पर खारीज किया जाता है। प्रार्थना पत्र निर्णित इन्द्राज किया जावें। – ह0 – (रतन कुमार) अतिरिक्त कलेक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ 02.03.2021 Signature Not Verified Digitally signed by Ratan Kumar Date: 2021.03.12 18:54:38 IST Reason: SelfAttested	